कार्यालय जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर

पत्रांक- 1094 / JJM / 2025-26 / 121 दिनाँक- 22-04-2025

जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति-

दिनाँक-16/04/2025 को जिलाधिकारी महोदय के कार्यव्यस्तता के कारण मुख्य विकास अधिकारी द्वारा डी0डी0ओ0 एवं डी0पी0आर0ओ0 के साथ जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक जिला सभागार में की गयी। जिसमें अधिशाषी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) के साथ सभी AE/JE जल निगम ग्रामीण,DPMU,ISA,वन विभाग व दोनो फर्म वेलस्पन व VTL एवं अधिशासी अभियंता विघुत (अकबरपुर) द्वारा प्रतिभाग किया गया।

समीक्षा बैठक में ISA कोर्डिनेटर के साथ वेलस्पन एवं VTL कम्पनी के मैनेजर एवं अधिकारी/कर्मचारियों को निम्न निर्देश दिए गये-

1. ISA कोर्डिनेटर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कार्यरत सभी ISA संस्थाओं द्वारा सोशल ऑडिट एवं Twodays माइकिंग के कार्य छोड़कर समस्त तीनों फेज की गतिविधियों को पूर्ण कर लिया गया है। दोनों कम्पनी एवं सभी ISA संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि O&M में घोषित पेयजल परियोजना से सम्बन्धित राजस्व ग्रामों में घर-घर सर्वे कराना सुनिश्चित करें कि कोई भी परिवार कनेक्शन से वंचित न रहे एवं सभी कनेक्शन लेने वाले व्यक्तियों की फोटो लेकर एल्बम तैयार कर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करें। यह भी स्पष्ट करना है कि कनेक्शन घर के अन्दर होना चाहिये तथा पानी की सप्लाई नियमित रुप से होनी चाहिए। ISA द्वारा समस्त गतिविधि पूर्ण हो जाने के बाद ही 3rd फेज की भुगतान की कार्यवाही की जाए।

2. सभी JE को निर्देशित किया जाता है कि M.B की कार्यवाही सभी परिवार को कनेक्शन पूर्ण हो जाने पर ही की जाए अन्यथा की दशा में वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3. दोनों कम्पनीयों एवं JE द्वारा कुछ ग्राम सभाओं में कार्य करने में जनता द्वारा अवरोध किए जाने पर निर्देशित किया गया कि ऐसे समस्त ग्रामों की शिकायात की सूचना लिखित रूप में प्रस्तुत करें जिससे आवश्यक कार्यवाही करके समस्या का समाधान किया जा सके।

4. प्रोजेक्ट मैनेजर वेलस्पन द्वारा अवगत कराया गया कि सेनपुर (ब्लाक-भीटी) पेयजल परियोजना में स्थित वृक्षों की नीलामी ग्राम प्रधान द्वारा नहीं की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में DPRO को निर्देशित किया कि सम्बन्धित ग्राम सभा के सचिव को नीलामी कराये जाने हेतु निर्देशित करें।

5. विद्युत विभाग अकबरपुर अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि जिन पेयजल परियोजनाओं में विद्युत पोल शिफ्टिंग की कार्यवाही की जानी है उसमे प्राक्कलन की कार्यवाही पूर्ण कर के यथाशीघ्र निस्तारित करें।

6. समीक्षा में मालीपुर एवं बसखारी रोड पर पाइपलाइन बिछाने में वन विभाग से अनुमति के सम्बन्ध में दोनों कम्पनी को निर्देशित किया गया कि अनुमति से सम्बन्धित विवरण वन विभाग के Parivash 2.0 पोर्टल पर अपलोड कर यथाशीघ्र अनुमति प्राप्त करें।

7. समीक्षा में VTL एवं Welspun कम्पनी द्वारा OHT के निर्माण में अपेक्षाकृत वृद्धि न होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि 30 अप्रैल-2025 तक VTL द्वारा 10 एवं Welspun कम्पनी द्वारा 08 OHT का और लक्ष्य कथानुसार पूर्ण किया जाए। इसी प्रकार OHT के निर्माण में 0 से 25% तक के Progress में यथाशीघ्र वृद्धि की जाए तथा VTL के द्वारा जिन 14 OHT में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है उन पर यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3-GV

Scanned with OKEN Scanner

जाय। उक्त के अतिरिक्त स्पष्ट रुप से निर्देशित किया जाता है कि OHT,FHTC एवं Road Restoration के कार्य में विशेष ध्यान देकर उत्रोत्तर वृद्धि की जाए।

उपरोक्त निर्देश के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

22/04/2025
अधिशाषी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिलापेय जल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर

22/4/2025
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिलापेय जल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1.अधिशासी निदेशक राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी अम्बेडकरनगर।
3. जिला विकास अधिकारी अम्बेडकरनगर।
4. डी0पी0आर0ओ0 अम्बेडकरनगर।
5. अधिशाषी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) अम्बेडकरनगर।
6. समस्त ISA संस्था एवं ISA कोर्डिनेटर अम्बेडकरनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वेलस्पन एवं VTL कम्पनी अम्बेडकरनगर को अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

22/4/2025
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिलापेय जल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर

Scanned with OKEN Scanner